8.12 कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश पृ.क्र. एफ 1/67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 में दिये गये आदेशानुसार 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा। इस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 06 माह की निरंतर सेवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8.13 अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जायेगी। **अनुभव में अंकों की गणना 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष किया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जावेगी। प्रशिक्षण एवं स्वेच्छा से कार्य का अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा।**

8.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत् अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8.15 अभ्यर्थी द्वारा यदि बिन्दु कमांक 8.10 व 8.12 के आधार पर दो अथवा अधिक अनुभव प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दोनों अथवा तीनों में से जिसका अंक अधिक हो, केवल एक का ही लाभ दिया जावेगा।

9. चयन प्रक्रिया :-

9.1 उक्त पदों पर भर्ती लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से की जावेगी।

(अ) लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु स्क्रीनिंग का आधार निम्न होगा :-

शैक्षणिक योग्यता 65 प्रतिशत अंक + अनुभव के अंक/बोनस अंक 10/15/20

(पद कमांक 23, 24, 34 एवं 35 को छोड़कर)

(ब) अंतिम चयन सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी :-

शैक्षणिक योग्यता + अनुभव के अंक/बोनस अंक + लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा के अंक।

9.2 अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी :-

पद कमांक 1, 2, 3, 12, 15, 19, 20, 27 एवं 33 के लिए :-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का – 65 प्रतिशत् अंक।
2. कौशल परीक्षा –20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/स्किल टेस्ट/साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
3. अनुभव – अनुभव अंक/बोनस अंक– 10/15 (पद से संबंधित अनुभव ही मान्य किये जावेंगे।)

- केन्द्र व राज्य सरकार के उपकम/शासकीय/अर्द्धशासकीय/पदों पर कार्यरत् अभ्यर्थियों को प्रतिवर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक।
- एन.एच.एम. में कार्यरत् अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक।
- ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये 04 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक।

पद कमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 28, 29, 30, 31, एवं 32 के लिए :–

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का – 65 प्रतिशत् अंक।
2. कौशल परीक्षा–20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/स्किल टेस्ट/साक्षात्कार आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
3. अनुभव – अनुभव अंक/बोनस अंक – 10/15 (पद से संबंधित अनुभव ही मान्य किये जावेंगे।)
   - एन.एच.एम. में कार्यरत् अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक
   - अन्य अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक

पद कमांक 23, 24, 34 एवं 35 के लिए चयन का आधार :–

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों का – 80 प्रतिशत् अंक।
2. राज्य शासन अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में समान कार्य अनुभव को 03 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम 15 अंक दिया जावेगा।
3. राज्य शासन के अन्य विभाग में समान कार्य के अनुभव को 02 अंक प्रतिवर्ष के हिसाब से अधिकतम 10 अंक/10 बोनस अंक दिया जावेगा।
4. किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा – 05 अंक (5% Weightage)

9.3 उक्त पदों हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले आवेदकों की वर्गवार सूची न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निर्धारित प्रतिशत अंक + अनुभव अंक/बोनस अंक के योग के गुणानुक्रम में तैयार की जायेगी तथा तालिकानुसार आवेदकों को वर्गवार प्रवीणता (मेरिट) के आधार पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुणा आवेदकों को लिखित/कौशल/साक्षात्कार परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।

भाग–स

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्ते एवं दिशा–निर्देश :–

1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिए गए समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात दस्तावेज जांच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चयन के पूर्व/पश्चात जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उनका चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय नियुक्तिकर्ता का होगा।